



क्रमांक: एफ4 (14)आकाशि/नि.सं./2016/

596

दिनांक:- 07/01/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषयों में रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान, बादीकुई रोड, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।	श्री कृष्णा महाविद्यालय, नाले वाले बालाजी मंदिर के पारा, मोतीपुरा रोड, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय- चित्रकला, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गृह-विज्ञान, अर्थशास्त्र। विज्ञान संकाय -भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह-विज्ञान।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, दौसा।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2024-2025/0204

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था : SHREE KRISHNA PUBLIC SCHOOL SHIKSHAN SANSTHAN, BANDIKUI ROAD, SIKANDRA TH- SIKRAI, DIST-DAUSA 303326
महाविद्यालय का नाम : SHREE KRISHNA MAHAVIDHYALYA, NALEWALE BALAJI Ke Pass, Motipura Road, Sikandra Th.-Sikrai, Dausa, Jaipur Division 303326
सम्बद्ध विश्वविद्यालय : University of Rajasthan, Jaipur
पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नाकोत्तर - Master of Arts (Geography) Geography Arts स्नाकोत्तर - Master of Arts (Hindi) Hindi Science स्नाकोत्तर - Master of Science (Botany) Botany Science स्नाकोत्तर - Master of Science (Mathematics) Mathematics

- 1.संस्था स्थाई अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- 2.संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- 4.संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 5.संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में BCI से मान्यता व विश्वविद्यालय से समद्वता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- 6.संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 7.संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- 8.राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2024-25 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।
- 9.संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- 10.मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-ii) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर दौसा।
5. कुल सचिव, University of Rajasthan, Jaipur।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

पत्रावली



Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2025.03.29 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2026-2027/0017

आदेश

संस्था SHREE KRISHNA PUBLIC SCHOOL SHIKSHAN SANSTHAN SIKANDRA, SH-25, BANDIKUI ROAD, SIKANDRA TH- SIKRAI, DIST- DAUSA 303326, ज़िला दौसा राजस्थान द्वारा संचालित SHREE KRISHNA MAHAVIDHYALYA VPO-SIKANDRA , NEAR NALEWALE BALAJI teh.-sikrai ,दौसा,जयपुर डिवीजन को महाविद्यालय को सत्र 2026-27 से नाम परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः महाविद्यालय का नवीन नाम SHREE KRISHNA COLLEGE SIKANDRA, VPO-SIKANDRA , NEAR NALEWALE BALAJI teh.-sikrai ,दौसा,जयपुर डिवीजन होगा ।

(नथमल डिडेल)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, दौसा ।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

Digitally signed by NATHMAL
DIDEL
Designation: Commissioner
Date: 2026-08-14 12:52:12 IST
Location: Jaipur,Raj,IN